COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***Case no. 09C/2026***

District & Addl. Sessions Judge-I-cum-Special-Judge SC & ST Act., Jamui,

Nagiya Devi Vs. Anant Singh and Others

09.06.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी की द्वारा अधिवक्ता हाजरी है। पुकार पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता सुनवायी हेतु उपस्थित हुये। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 19.01.2026 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी सुनीता देवी एवं विकास कुमार का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी नगीया देवी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2026 को वह अपनी जमीन खाता संख्या 17, खेसरा 680, जो कि उसके मृतक ससुर जागेश्वर मांझी के नाम से खरीदगी जमीन है। वह सब्जी लगाने के उद्देश्य से ट्रैक्टर से जोतवाने के लिये लायी थी। अभियुक्त अनंत सिंह, बिभूति सिंह एवं गोदिल सिंह खेत पर एकमत होकर पहुंचे और उसको रंड़ी, भोसड़ी, मुसहरनी कहकर गाली–गलौज करने लगा एवं बिभूति सिंह उसको कहने लगा कि ''वह इस गांव का रंगबाज है, तुम अपना एवं अपने परिवार की जिंदगी चाहती हो तो जमीन उसके तीनों भाईयों के नाम से केवला लिख दो अन्यथा बुरे परिणाम भुगतने होगें। गांव से मारपीट कर भगा देगें एवं जमीन, घर हड़प लेगें।'' जब वह यह निवेदन कि उसके बाल बच्चों के लिये जीवनयापन के लिये यही जमीन सहारा है तो अनंत सिंह और बिभूति सिंह मिलकर सुनीता देवी की लाज भंग करने की इच्छा से पटक दिया और सुनीता देवी के गले से 1/2 भर का दुर्गा जी का लॉकेट नोच लिया।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी सुनीता देवी एवं विकास कुमार का साक्ष्य करवाया है। परिवादी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) में परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्य का समर्थन किया है। जांच साक्षी संख्या 1 मनीष कुमार ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि **वह ट्रैक्टर में बैठकर अपने खेत जोतने एवं सब्जी लगाने गयी थी तो बिभूति सिंह, अनंत सिंह, गोदिल सिंह बोले**

कि बपचोदी, रण्डी तुमको खेत जोतने नही देगें। मारपीट करने लगे। जांच साक्षी संख्या 2 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि **उसकी मां एवं नानी फसल लगाने के लिये खेत में जोताई करने गयी थी तो बिभूति सिंह, अनंत सिंह, गोदिल सिंह बोले कि खेत जोताई नही करो। यह खेत उसके नाम कर दो। बिभूति सिंह जबरदस्ती करने लगा और बोला कि जमीन नही दोगे तो जान से मार देगे और गाली गलौज करने लगा। उसकी मां को पटक कर उसके गले से एक लॉकेट था, जिसे इन लोगों ने छीन लिया।** अतः मामले के समग्र परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये मेरे विचार से अभियुक्त अनंत सिंह, बिभूति सिंह एवं गोदिल सिंह के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s) के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु समन की आपेक्षिताएं दाखिल करे।

वाद दिनांक वास्ते समन की आपेक्षिताएं दाखिल करने हेतु।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।